न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– लक्ष

प्रथम अपील संख्या 47 / 2023

श्री बनवारीलाल गर्वा, 306 बिल्डिंग नं0 13, सेक्टर–7, ऑन्टोफिल, मुम्बई–400037, मो0न0 9082

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिक के तहत दिनांक 01.03.2023 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 4 दिनांक 01.03.2023 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसील के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2023 / 106 01.03.2023 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं ने पत्रांक रीडर / आरटीआई / 2023 / 225 दिनांक 15. अवगत कराया है कि श्री बनवारीलाल पुत्र किशनाराम गर्वा, निवासी बिल्डिंग नं0 13, सेक्टर कोलोनी, एन्टोफिल, मुम्बई–400037 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 1 आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के जमाबन्दियों क हेतु प्रतिलिपि शुल्क 80 रूपये की प्रतिलिपि शुल्क टिकट भिजवाने हेतु इस कार्यालय रीडर / आरटीआई / 2023 / 178 दिनांक 24.02.2023 के द्वारा अपीलार्थी को अवगत करवाया अपीलार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा नही करवाया गया है। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित प्रतिलिपि करवाये जाने पर शीघ्र नियमुनसार सूचना की प्रतिलिपि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के त को उपलब्ध करवा दी जावेगी। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं द्वारा पत्रांक रीडर / आरटीआई / 2023 / 225 2023 द्वारा अवगत कराया है कि श्री बनवारीलाल पुत्र किशनाराम गर्वा, निवासी बिल्डिंग नं0 सीजीएस कोलोनी, एन्टोफिल, मुम्बई–400037 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 2023 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के ज प्रतिलिपियों हेतु प्रतिलिपि शुल्क 80 रूपये की प्रतिलिपि शुल्क टिकट भिजवाने हेतु उनके कार्याल रीडर / आरटीआई / 2023 / 178 दिनांक 24.02.2023 के द्वारा अपीलार्थी को अवगत करवाया अपीलार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा नही करवाया गया है। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित प्रतिलिपि करवाये जाने पर शीघ्र नियमुनसार सूचना की प्रतिलिपि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के त को उपलब्ध करवा दी जावेगी। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आ के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 27.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:22:05 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कु
जिला कलक्टर